न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 08/2019 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— पूनमचंद पारीक पुत्र स्व.श्री मालूराम पारीक जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 9 अवन्तिका कॉलोनी, सरदारशहर जिला चूरू।

——— **अपीलान्ट**

—— **बनाम** ——

राजस्थान राज्य।

——— **रेस्पोडेन्ट**

उपस्थित :— श्री राजेन्द्रसिंह — अभिभाषक अपीलांट

श्री विष्णु स्वामी — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 26.09.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अति. जिला मजिस्ट्रेट, चूरू के आदेश दिनांक 01.07.2019/04.05.18, जिसमें अपीलांट के नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की सूचना प्रेषित की गयी, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, चूरू के समक्ष निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू, एवं उप वन संरक्षक चूरू से जांच रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू से पत्र दिनांक 12.07.17 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें आवेदक के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई । उप वन संरक्षक, चूरू की रिपोर्ट दिनांक 02.08.17 भी आवेदक को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना अवगत करवाया है।

प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा आरमोर्र का शस्त्र संचालन दक्षता प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं करने पर जिला मजिस्ट्रेट, चूरू के आदेश/पत्र क्रमांक 12745 दिनांक

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4.5.18 के अनुसार अपीलान्ट को सूचना प्रेषित की गयी कि " प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया कि आप द्वारा शस्त्र संचालन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने के कारण आपका आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया गया है। तद्नुसार सूचना प्रेषित है।" का उल्लेख करते हुए अपीलान्ट का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। अपीलांट ने उक्त कर्मीपूर्ति करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.07.2019 से अस्वीकार करते हुए सूचनार्थ पत्र क्रमांक 3956 दिनांक 01.07.19 अपीलांट को प्रेषित किया है। उक्त सूचना पत्र से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया तथा बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री राजेन्द्रसिंह ने बहस करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये सबूतों पर गौर नहीं किया है। जिला कलक्टर, चूरू के समक्ष शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया था, जिसमें आवेदन किया कि अपीलार्थी स्वर्णकारी का व्यापार करता है और उसकी ज्वैलर्स एवं कृषि उपज मंडी में बड़ी फर्मे हैं, जिनकी नकदी बैंक आदि में जमा–निकासी के लिये अपीलांट को बाहर आना–जाना पड़ता है। अपीलार्थी को व्यापार के सिलसिले में नियमित रूप से भ्रमण करना होता है। व्यापारियों के साथ आये दिन लूटपाट होती है, इसलिए अपीलार्थी को भी जान–माल का खतरा महसूस हो रहा है। इसी आधार पर अपीलार्थी ने अपनी आत्मसुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस हेतु आवेदन किया था । अपीलांट राष्ट्रीय राईफल संघ, नई दिल्ली का आजीवन सदस्य क्रमांक एल–7725 है व शस्त्र अभ्यास एवं प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये आवेदन किया था, जिसकी जांच पुलिस अधीक्षक, चूरू एवं उप वन संरक्षक, चूरू से करवायी गयी, जिनकी जांच अपीलांट के अनुकूल व शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने की अनुशंषा के साथ अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई है। अपीलार्थी के आवेदन करने पर अपीलार्थी के चरित्र सत्यापन हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू एवं वन विभाग से भी जांच कर रिपोर्ट ली गई है, जिसमें अपीलांट के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में आवेदन पत्र खारिज किये जाने के संबंध में जो आधार लिये हैं, वह उचित नहीं हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5. राज्य पक्ष की ओर से विद्वान सहा.लोक अभियोजक ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु दिये गये कारणों के संबंध में समुचित साक्ष्य एवम् दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने में असफल रहा है। अपीलान्ट के आवेदन पर जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू से प्राप्त रिपोर्ट में आवेदक के जीवन को खतरा सम्बन्धी कोई टिप्पणी नहीं होने तथा ना ही आरमोर्र का शस्त्र संचालन दक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे आधार लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के आदेश दिनांक 01.07.19 द्वारा अपीलान्ट का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। अपीलांट ने कोई ठोस साक्ष्य एवम् दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिये जाने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, चूरु द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में लिये गये आधार उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। प्रकरण अनुसार अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट को व्यापार के सिलसिले में भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए आत्म सुरक्षा हेतु शस्त्र लाईसेंस की आवश्यकता है। परन्तु अपीलांट को अपनी जान–माल का खतरा होने संबंधी कोई साक्ष्य या सबूत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये हैं। जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू से प्राप्त रिपोर्ट में दिनांक 12.07.17 में आवेदक के चाल–चलन के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश में अपीलांट द्वारा केवल मात्र शस्त्र संचालन दक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने का आधार लेते हुए अपीलांट का आवेदन पत्र निरस्त किया है। हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध शस्त्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र क्रमांक 421 दिनांक 16.7.18 जो सक्षम अधिकारी संचित निरीक्षक, रिर्जव पुलिस लाईन, चूरू से अपीलांट के नाम से जारी है, इससे स्पष्ट है कि अपीलांट को शस्त्र चलाने का ज्ञान है। अपीलाधीन आदेश में लिया गया आधार इससे स्वतः ही रद्द हो जाता है। चूँकि अपीलांट ज्वैलर्स एवं कृषि उपज मण्डी में बड़ा व्यापार भी करता है। उस पर अपनी आत्मरक्षा एवं सम्पति की सुरक्षा का दायित्व भी है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस व वन विभाग की रिपोर्ट भी अपीलांट के पक्ष में आई है। हम विद्वान अभिभाषक अपीलांट के इस कथन से भी सहमत हैं कि अपीलांट राष्ट्रीय राईफल संघ, नई दिल्ली का आजीवन सदस्य भी है और उन्हें प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट, चूरु का अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.07.2019 / 04.05.18 निरस्त कर इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट की परिस्थतियों के मध्यनजर पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए विधिसम्मत आदेश पारित करें।
8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 26.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर